न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी राजेश सुवालका (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या/37/2016

दायर दिनांक 26.04.2016

उनवान

1. कंवरलाल पिता मांगीलाल जाति शर्मा आयु वयस्क निवासी भीमखण्ड तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

-- वादी

बनाम

1. शंभुलाल पिता रामचन्द्र जाति ब्राह्मण आयु वयस्क निवासी भीमखण्ड तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. भगवती लाल पिता मांगी लाल जाति शर्मा आयु वयस्क निवासी भीमखण्ड तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
3. तहसीलदार कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

–प्रतिवादीगण

–: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर.टी.एक्ट :–

निर्णय दिनांकः 30.04.2025

–:निर्णयः–

वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–89 एवं 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत् निम्न निवेदन के साथ पेश किया कि मौजा भीमखण्ड के हल्के बैरूनी में आराजी नम्बर 888, 889, 890, 892, 893, 897, 899, 1120/897 कुल क्षेत्रफल 4.7000 हैक्ट0 स्थित हैं। जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर रेवेन्यू रेकार्ड में दर्ज हैं। किन्तु सभी आराजीयात मौरूसी है जिसमें वादी व प्रतिवादी सं. 2 का आधा हिस्सा निहित है क्योंकि ये आराज्यित मेरे दादा हीरा लाल के खाते कब्जे की है और हीरालाल के दो लड़के थे, जिसमें एक मेरे पिता मांगी लाल तथा शम्भुलाल के पिता रामचन्द्र थे । किन्तु आराजीयात अकेले रामचन्द्र ने अपने नाम पर दर्ज करा दी और उनकी मृत्यु होने पर उसके पुत्र शम्भु लाल के नाम पर दर्ज हो गई जिससे 1/2 हिस्सा मांगी लाल के वारीसान के नाम पर दर्ज होना चाहिए। व परिवार का सजरा प्रस्तुत किया।

यह कि प्रतिवादी सं. 1 को जमीन का आधा हिस्सा हमारे नाम पर दर्ज कराने के लिए कहा तो प्रतिवादी सं. 1 इन्कार हो गया और अन्तिम बार दिनांक 20.04.2016 को कहा तो भी प्रतिवादी सं. 1 इन्कार हो गया जिससे वादकारण दि. 20/4/2016 से एवं तत्पश्चात निरन्तर पैदा हो रहा है।

यह कि प्रतिवादी सं. 2 वादी न बनने से प्रतिवादी बनाया गया है वादी व प्रतिवादी सं. 2 को हिरा लाल की आधी जमीन का खातेदार घोषित किया जावे।

अन्त में निवेदन किया कि मौजा भीमखण्ड की आराजी नम्बर 888, 889, 890, 892, 893, 897, 899, 1120/897 कुल रकबा 4.70 हेक्टर के आधे हिस्से का वादी व उसके भाई प्रतिवादी सं. 2 को खातेदार घोषित किया जावें तथा प्रतिवादी संख्या 1 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वो हमारे खाते की आराजी अन्य को रहन बह विक्रय न करें इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावें। अन्य दाद मुफिद वादी हो दिलाई जावें।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन जिला-चित्तौडगढ

ने वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी 1 व 2 बावजूद सूचना के हाजिर नही आने से दिनांक 06.08.2021 को एकतरफा की गयी। साक्ष्यवादी में वादी कंवरलाल पिता मांगीलाल शर्मा का शपथ पत्र प्रस्तुत। वेज प्रदर्श अंकन कराये जो प्रदर्श–1 से लगायत प्रदर्श–5 है।

बहस वादपत्र सुनी गई। हमने सम्पूर्ण पत्रावली, दस्तावेज, बक्त बहस प्रस्तुत दस्तावेज व प्रस्तुत शपथ पत्र का अवलोकन किया। प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रदर्शित दस्तावेज व बक्त बहस पेश दस्तावेज में रामचन्द्र को ही हीरालाल का वारिस माना गया है। वादी द्वारा प्रस्तुत सजरे अनुसार कंवरलाल हीरालाल का वारिस है, ऐसा एक भी ठोस दस्तावेज पेश नही किया है। वादी द्वारा वादपत्र की तायद मे कोई ठोस साक्ष्य व सबूत प्रस्तुत नही किये है। वादी अपना वादपत्र सिद्ध कराने में असफल रहा। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर0टी0एक्ट0 सारहीन होने से इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(राजेश सुवालका)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी, कपासन

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन जिला-चित्तौड़गढ़